

भारतीय रेल सम्मेलन
माल भाड़ा दर सूची सं. 48, भाग - I (जिल्द - II)
शुद्धि पत्र सं. 02 दिनांक 27, ज्येष्ठ 1937

I.R.C.A.
Goods Tariff No. 48, Part I (Vol. II)
Correction Slip No. 02 Dated 17.06.2015

प्राधिकरण: - रेलवे बोर्ड का पत्र सं. टीसीआर/1078/2015/07, दिनांक 10.04.2015
(दर परिपत्र - 08/2015 का शुद्धि पत्र सं. 03)

निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं: -

शुद्धि पत्र सं. 02 दिनांक 27, ज्येष्ठ 1937 पृष्ठ - 23, माल का सामान्य वर्गीकरण - समूह क्रम सं. 25 (एम) के अंतर्गत दिए वस्तुओं एवं अंत में दिए नोट के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें: -

समूह क्रम संख्या	वस्तु विवरण
25 (एम)	मोटर वाहन *
	मोटर वाहन
	मोटर साइकिलें
	मोटर ट्रैक्टर, अन्य के रूप में
	मोटर कारें
नोट:	* एन.एम.जी./ बी.सी.सी.एन. मालडिब्बों की मानकीकृत वहन क्षमता 58.8 टन होगी।

---X---

Authority: - Railway Board's letter No. TCR/1078/2015/07, dated 10.04.2015
(Corr. - 03 to RC - 08/2015)

The following alterations are hereby made: -

C.S. No. 02 of 17.06.2015 Page 23, General Classification of Goods, for existing "Commodity description" and "Note" given under group No. 25(m), substitute the following: -

Group No.	Commodity Description
25 (m)	MOTOR VEHICLES *
	MOTOR VEHICLES
	MOTOR CYCLES
	MOTOR TRACTOR NOC
	MOTOR CARS
Note:	* The "Standardized" CC of NMG/BCCN Wagons shall be 58.8 tonnes.

नई दिल्ली/ New Delhi

दिनांक: 27, ज्येष्ठ 1937
Dated: 17.06.2015


सुधेन्दु जे. सिन्हा भा.रे.या.स.
महासचिव
Sudhendu J. Sinha IRTS
Secretary General